बिहार सरकार

<u>उद्योग विभाग</u>

संकल्प

विषय :—राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने/इनके बीच स्व—रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के युवा/युवतियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने/स्व—रोजगार को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/युवा/महिला उद्यमी योजना लागू की गयी है। राज्य के युवा एवं युवतियों के बीच उक्त योजना की अभिरूचि को देखते हुए तथा राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग में उद्यमिता को बढ़ावा देने/इनके बीच स्व—रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना** लागू की गयी है।

2. राज्य के युवाओं द्वारा स्व—रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी की राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृति में कठिनाई होती है। इसे ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के युवाओं को स्व—रोजगार/उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है।

3. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी :—

i. बिहार के निवासी हो।

ii. कम—से—कम 10+2 या इन्टरमीडिएट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. जाति प्रमाण—पत्र अनिवार्य होगा।

v. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।

vi. अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। साथ ही वे पूर्व से लागू मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।

vii. अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अथवा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में से एक योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

4. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा तथा इस योजना हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नामित एक सदस्य भी उक्त चयन समिति के सदस्य होंगे। उक्त चयन समिति द्वारा ही इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधन करने के लिए चयन समिति सक्षम होगी।

5. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।

6. इस योजनान्तर्गत आवेदकों को ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति निम्न रूपेण की जायेगी :–

i. योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों हेतु कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 (दस) लाख स्वीकृत की जायेगी।

ii. कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान के रूप में होगी।

iii. योजना का 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी।

iv. परियोजना लागत का शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी तथा योजना के तहत अंतिम किश्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली उद्योग मित्र द्वारा 84 समान किश्तों में की जायेगी। इसके लिए उद्योग मित्र द्वारा आवश्यक बैंक खाता खोला जायेगा। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी।

v. सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) के दर से व्यय किया जायेगा।

7. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध**–इस राशि की निकासी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुख्यशीर्ष–5465–सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश, उपमुख्य शीर्ष–01–सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघु

शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि मे निवेश, उपशीर्ष–0104–बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूँजी के रूप में (कैपिटल शेयर), विपत्र कोड– 30–5465011900104 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में रु0 100.00 करोड़ की राशि उपलब्ध है।

कंडिका–06 (i एवं v) में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रति उद्यमी रु0 10.25 लाख (दस लाख पच्चीस हजार रुपये) की दर से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त योजना की समेकित राशि उद्योग मित्र के खाता में उपलब्ध करायी जायेगी।

8. इस योजना हेतु प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लक्ष्य का निर्धारण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।

10. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

11. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 25.09.2023 की बैठक में मद संख्या 05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

26/9/23

(संदीप पौण्डरीक)
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858 /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0/अल्पसंख्यक उद्यमी/31./2023
प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/23

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858........................ /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0/अल्पसंख्यक उद्यमी/31/2023
प्रतिलिति :– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/23
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858........................ /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0/अल्पसंख्यक उद्यमी/31/2023
प्रतिलिति :– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/23
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858........................ /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0/अल्पसंख्यक उद्यमी/31/2023
प्रतिलिति :– उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर एवं उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/23
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858........................ /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0/अल्पसंख्यक उद्यमी/31/2023
प्रतिलिति :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/23
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858 /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0 / अल्पसंख्यक उद्यमी / 31 / 2023

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

26/9/23

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2858 /पटना, दिनांकः– 26/09/2023
सं0सं0–04 तक0 / अल्पसंख्यक उद्यमी / 31 / 2023

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

26/9/23

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय :— राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों के साथ–साथ अति पिछड़ा वर्ग के युवा–युवतियों को भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में संशोधन एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु रु0 102.50 करोड़ की योजना की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

उक्त के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :—

1. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 के **विषय** में प्रयुक्त शब्दों ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति'' को शब्दों ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 के **प्रथम पैरा के अंतिम वाक्य** के पूर्व निम्न वाक्य जोड़ा जाता है :—

''राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण इनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में उद्यमी बनने से राज्य के औद्योगीकरण की दिशा में बल मिलेगा तथा राज्य के समावेशी (Equitable) आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि होगी।''

3. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–1. परिचय** में प्रयुक्त शब्दों ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति'' को ''अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–2(II) एवं 2(V)** को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

कंडिका संख्या	संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में वर्त्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	संशोधन का औचित्य
2(II)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत हो।	अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से।

2(V)	इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company के तहत निबंधित हो।	इकाई प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।	प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाता है।

5. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–3(X)** के उपरान्त नई कंडिका–3(XI) एवं 3(XII) निम्न प्रकार जोड़ी जाती है :–

"3(XI) प्रधान सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य

"3(XII) प्रधान सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रतिनिधि – सदस्य"

6. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की **कंडिका–7** को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

कंडिका संख्या	संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 में वर्त्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद का प्रावधान	संशोधन का औचित्य
7	इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रू0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।	इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रू0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली योजना के तहत तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।	इस योजना के तहत तीनों किस्त के भुगतान में लगभग 01(एक) वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना के कारण।

7. इस योजना के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग हेतु रू0 102.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

8. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत की जायेगी।

9. आबादी के अनुसार जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

10. विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों के चयन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया एवं मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इस योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

11. वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है, उदव्यय प्राप्त करने एवं बजट उपबंध प्राप्त करने की कारवाई अलग से की जा रही है।

12. संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

13. विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/02/2020

(नर्मदेश्वर लाल)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 204 /पटना, दिनांक– 04/02/2020

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 204 /पटना, दिनांक—04/02/2020

संoसo— 4तकo/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—204 /पटना, दिनांक—04/02/2020

संoसo— 4तकo/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 204 /पटना, दिनांक—04/02/2020

संoसo— 4तकo/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/02/2020

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

संकल्प

विषय :–राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 (दो सौ) करोड़ की स्वीकृति।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 एवं संकल्प संख्या–204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य के युवाओं के बीच स्व–रोजगार/उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना** लागू किया जाता है।

2. राज्य के युवाओं द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी के लिए राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के युवाओं को स्व–रोजगार/उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

4. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :–

i. बिहार के निवासी हो।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company हो।

v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा।

vi. सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष इस योजना के लिए पात्र होंगे।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	–	सदस्य–सह–सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	–	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	–	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	–	सदस्य
vii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
viii.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
ix.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	–	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	–	सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगां द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45 दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की

जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रू0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 लाख 1% (एक प्रतिशत) ब्याज सहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अदायगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।

10. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध–** इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लधु उद्योग, उपशीर्ष–0108–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उपशीर्ष–0102–मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी।

13. लक्षित आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

14. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या– 08 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक :

सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक :

सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक :

सं0सं0–4तक0/युवा उद्यमी/145/2020

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :   पटना, दिनांक :

सं0सं0–4तक0 / युवा उद्यमी / 145 / 2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :   पटना, दिनांक :

सं0सं0–4तक0 / युवा उद्यमी / 145 / 2020

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषय :–राज्य के महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रु0 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) की स्वीकृति।

उद्योग विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक–17.05.2018 एवं संकल्प संख्या–204 दिनांक 04.02.2020 द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना लागू है। इसी क्रम में राज्य की महिलाओं में उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना** लागू किया जाता है।

2. राज्य की महिलाओं द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य की महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत Transgender को भी समान लाभ दिया जायेगा।

3. इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

4. इस योजना अर्न्तगत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत है :–

i. बिहार के निवासी हों।

ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।

iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हों।

iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company हो।

v. प्रोपराईटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जायेगा।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :–

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	–	सदस्य–सह–सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	–	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	–	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	–	सदस्य
vii.	महिला विकास निगम, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
viii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
ix.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	–	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	–	सदस्य
xi.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	–	सदस्य

6. इस योजनान्तर्गत लाभुकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। चयन समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन, राशि की स्वीकृति/विमुक्ति एवं ऋण की वसूली निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष के दूसरे एवं तृतीय तिमाही में भी आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विभाग से प्रारंभिक जांच किये गये आवेदनों की सूची को सम्बंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को भौतिक सत्यापन हेतु अग्रसारित की जायेगी। तत्पश्चात तकनीकी विकास निदेशालय चयनित एवं सत्यापित लाभुकों को प्रशिक्षण एवं DPR बनाने हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में 02 सप्ताह के लिए भेजेगी। प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त चयन समिति DPR के अनुसार परियोजना की कुल राशि स्वीकृत करेगी जिसकी विमुक्ति अधिकतम दो चरणों में की जायेगी। चरणवार राशि की विमुक्ति का प्रतिशत लाभुक द्वारा चुने हुए उद्यम पर निर्भर करेगा जिसकी विवरणी DPR में वर्णित रहेगा। आवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के सत्यापन के पश्चात 03 कार्य दिवस के अंदर द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। अपेक्षित 30 दिनों के अंदर व्यय नहीं हो पाने की स्थिति में महाप्रबंधक व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए लाभुक को 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगां द्वितीय किश्त के विमुक्ति के पश्चात लाभुक द्वारा अधिकतम 45

दिनों में उत्पादन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के एक माह पूर्व से आवेदक को निर्धारित किश्त के सम्बन्ध में सूचना निर्गत करते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना का लाभ परिवार (पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क संतान) के सिर्फ एक सदस्य को दिया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो विभाग अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।

8. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जायेगा तथा योजना के तहत अंतिम किस्त के भुगतान के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। लाभुक द्वारा ऋण की अयादगी समय पर न किये जाने या किसी अन्य प्रकार की वित्तीय अनियमितता किये जाने पर सन्निहित राशि की वसूली सरकारी भू–राजस्व के रूप में की जायेगी। योजना की शेष 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु0 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगी। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई रु0 25,000/– के दर से व्यय किया जायेगा।

9. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के स्थापना के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का भी लाभ देय होगा।

10. **बजट शीर्ष एवं बजट का उपबंध**– इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लधु उद्योग, उपशीर्ष–0109–मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 एवं

मुख्य शीर्ष 6851–ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–लघु उद्योग, उपशीर्ष–0103–मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना–सात निश्चय–2 में प्राप्त बजट की राशि से की जायेगी।

11. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को एकमुश्त राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. आवेदन पत्रों की स्वीकृति उपलब्ध बजट अधिसीमा के अन्तर्गत की जायेगी। साथ ही योजना के तहत आवंटित राशि का 75 प्रतिशत व्यय हो जाने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जायेगी।

13. महिला आबादी के अनुसार इस योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

14. दिनांक 19.04.2021 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मद संख्या– 07 के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

15. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/5/21

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
13/5/21
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1037 पटना, दिनांक : 13/05/2021

सं0सं0–4तक0/महिला उद्यमी/144/2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
13/5/21
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।